

भारतीय संघवाद

सहकारी संघवाद

केंद्र एवं इकाइयों के पारस्परिक संबंधों के आधार पर संवाद के तीन प्रतिमान एकात्मक संघवाद सौदेबाजी वाली व्यवस्था का प्रतिमान तथा सहयोगी संघवाद के प्रतिमान माने जाते हैं।

यह तीनों ही प्रवृत्तियां संघात्मक व्यवस्था एक साथ विद्यमान रहती हैं किंतु कभी-कभी ऐतिहासिक या बाह्य घटनाओं के कारण इनमें से किसी एक की प्रमुखता इन्हें अन्य दो श्रेणियों से अलग करती है। भारत में केंद्र एवं राज्यों के पारस्परिक संबंधों के आधार पर अलग-अलग समय में तीनों प्रतिमानों का स्वरूप परिलक्षित होता है।

एकात्मक संघवाद का प्रतिमान

भारत के संविधान के अंतरंग में एवं संविधाननेतर अनेक प्रावधानों में एकात्मक संघवाद का प्रतिमा स्पष्ट होता है। क्षेत्रीय सरकारों की तुलना में केंद्रीय सरकारों को अधिक महत्व एवं शक्तियां प्राप्त होना महत्वपूर्ण विषयों पर राष्ट्रीय सरकारों का एकाधिकार एकात्म संघवाद के अंनुलक्षण हैं।

भारत में एकात्मक संघवाद का प्रतिमान अनेक प्रावधानों से स्पष्ट हो जाता है जिसमें संवैधानिक दृष्टि से केंद्र को जानबूझकर शक्तिशाली

बनाया गया है। संविधान द्वारा सिद्धतः केंद्र को शक्तिशाली बनाने के लिए अनेक संविधानिक उपाय जैसे संघ सूची में महत्वपूर्ण विषय अवशिष्ट विषयों को केंद्र को प्रदान करना राज्य सूची के विषयों पर केंद्र की विधान निर्माण की अधिकारिता ,एकल नागरिकता ,एकीकृत न्याय व्यवस्था ,अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्र तथा राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के संकट कालीन अधिकार, आर्थिक दृष्टिकोण से राज्यों की केंद्र पर निर्भरता आदि हैं। इन प्रावधानों के साथ ही संविधानेतर व्यवस्थाओं के अंतर्गत एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था, नीति आयोग ,प्रधानमंत्री का करिशमाई व्यक्तित्व आदि भी केंद्र को सशक्त बनाते हैं।

सौदेबाजी वाली संघीय व्यवस्था

भारत की संघात्मक व्यवस्था में ऐसे अनेक अवसरों पर सौदेबाजी वाली संघीय व्यवस्था का प्रतिमान स्पष्ट होता है। सौदेबाजी वाली संघीय व्यवस्था में संघात्मक ढांचे में राजनीतिक दल द्विस्तरीय प्रकृति रखते हैं कुछ राजनीतिक दल राष्ट्रीय स्तर पर तथा कुछ राज्य स्तर पर संगठित होते हैं। केंद्रीय एवं क्षेत्रीय सरकारों में सौदेबाजी प्रारंभ हो जाती है। भारतीय संघीय व्यवस्था में केंद्रीय एवं क्षेत्रीय सरकारों में इसी सौदेबाजी की प्रवृत्ति के कारण मॉरिस जॉन्स ने इसे सौदेबाजी का संघवाद कहा है।

मॉरिस जॉन्स के अनुसार “भारतीय संघवाद का सदैव यही स्वरूप रहा है जहां संविधान में केंद्र एवं राज्यों के अलग-अलग क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। वहां व्यवहार में दोनों के बीच सहकारी सौदेबाजी का संबंध है।“

भारत में संघ व्यवस्था का सौदेबाजी वाला प्रतिमान 1989 से 2009 के राष्ट्रीय राजनीति के परिवृश्य में देखा जा सकता है। इसके कालावधि में बनने वाली सरकार अल्पमत थी। जैसे विश्वनाथ प्रताप सिंह 1989, चंद्रशेखर 1990, पी वी नरसिंहा राव 1991, एच डी देवगौड़ा 1996, इंद्र कुमार गुजराल 1997, अटल बिहारी वाजपेई 1998 एवं 1999 तथा डॉ मनमोहन सिंह 2004 एवं 2009 के नेतृत्व में बोलने वाली सरकारों को सत्तारूढ़ होने तथा सत्ता चलाने के लिए क्षेत्रीय दलों का समर्थन लेना पड़ा था। क्षेत्रीय दलों ने सौदेबाजी वाली प्रक्रिया को अपनाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ा। भारत में 50 एवं 60 के दशक में कुछ राज्य के मुख्यमंत्री जैसे कामराज, बी सी राय, प्रताप सिंह कैरों केंद्र से सौदेबाजी एवं समझौते द्वारा अपनी मांगें पूर्ण करवाते थे। 90 के दशक में भारत में गठबंधन सरकारों के गठन के बाद प्रादेशिक राजनीतिक दलों के नेताओं जैसे जयललिता, ममता बनर्जी, एम करुणानिधि, नवीन पटनायक, ओम प्रकाश चौटाला आदि ने केंद्र से सौदेबाजी की थी। किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत के अभाव के कारण सरकारों का निर्माण हुआ। क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के महत्व में वृद्धि हुई एवं उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर सत्तारूढ़ सरकार के गठन एवं सरकारों के परिचालन में विशेष भूमिका का निर्वाह किया। इस दौरान क्षेत्रीय

राजनीतिक दलों को अपनी मांग रखने में सौदेबाजी के अधिक अवसर प्राप्त हुए।

2005 में पंद्रहवीं लोकसभा के चुनाव के बाद यूपीए सरकार को समर्थन देने के लिए सहयोगी दलों ने मंत्री पद और विभाग को लेकर सौदेबाजी ही नहीं की बल्कि सरकार के हर फैसले चाहे वह स्पेक्ट्रम आवंटन, विमानों की खरीदारी ,कोयला ब्लॉकों का आवंटन तथा अन्य कोई मुद्दा हो उसमें भी सौदेबाजी की थी। 1989 के बाद केंद्र में कोई भी राजनीतिक दल चाहे वह भाजपा हो या कांग्रेस बिना क्षेत्रीय दल के सरकार बनाने में असमर्थ रही है। इनकी स्थिरता का सीधा नियम रहा है 'इस हाथ दो उस हाथ लो' देने की भूमिका में केंद्र और लेने की भूमिका में राज्य होती है। 16वीं लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में एक स्पष्ट बहुमत वाली सरकार सत्तारूढ़ हुई परंतु परंतु राज्यसभा में सत्तारूढ़ दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है। 17 वीं लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए गठबंधन में भाजपा पुनः केंद्र में आई राज्य और राज्यसभा में भी बहुमत प्राप्त करने लगे अब यह वर्तमान समय में भाजपा खुद बहुमत के आंकड़े के ऊपर होने के कारण सौदेबाजी वाली प्रक्रिया से दूर है और सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व प्रभावशाली और करिशमाई है।